प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 08.03.2025

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा एक स्नैचर मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, चोरी की 01 मोटरसाइकिल व स्नेचिंग की गई मंगल सूत्र को गलाकर बनवाई एक पीली धातु की गोली एवं स्नैच किए गए मोबाइल को बेचकर प्राप्त 800/- रूपये बरामद।

दिनांक 07.03.2025 को थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाऐ जा रहे अभियान के अंतर्गत टीम विवेकानंद तिराहा/ महाराणा प्रताप चौक के पास सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी तभी कुछ देर बाद एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार शास्त्री नगर चौराहे की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया जिसे पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो वह रुका नहीं बल्कि पीछे की तरफ मुड़कर तेजी से जाने लगा कुछ दूर आगे चलकर जल्दबाजी में वह बाइक पास में ही सड़क के किनारे गिर गई एवं बाइक सवार व्यक्ति द्वारा अपने आप को घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया । जिससे पुलिस टीम अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में बदमाश के बाए पैर में गोली लगी। जिससे स्नैचर घायल हो गया। जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुकेश उर्फ़ राजा पुत्र भीमसेन निवासी ग्राम शाहपुर मोरटा थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथी पंकज निवासी नंदग्राम के साथ मिलकर अलग अलग वाहन बदलकर चैन स्नेचिंग व मोबाइल स्नेचिंग की घटनाओं को कारित करता है।

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 तमंचा, 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस
2. चोरी की गई 01 मोटरसाइकिल
3. स्नैचिंग की गई मंगल सूत्र को गलाकर बनवाई गयी एक गोली
4. स्नैच किए गए मोबाइल फोन को बेचकर प्राप्त 800/- रूपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध लूट, स्नेचिंग आदि से संबंधित आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं । अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम ।

स्वाट टीम व थाना लोनी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल फर्जी नम्बर प्लेट लगी, अवैध पिस्टल व 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 07.03.2025 को स्वाट टीम गाजियाबाद व थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी/लूट की घटना कारित करने वाला अभियुक्त शाने आलम उर्फ शानू पुत्र मोहम्मद अतीक हाल निवासी डी0एल0एफ0 कट के पास पुस्ता लोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल निवासी रमैयो वाली गली थाना नहटौर जनपद बिजनौर, उम्र करीब 32 वर्ष को चौकी क्षेत्र कस्बा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गई फर्जी नम्बर प्लेट लगी बुलेट मोटरसाइकिल, 01 देशी पिस्टल 32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी पर धारा 317(2)/317(5)/345(3) BNS व 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त थाना लोनी पर पंजीकृत हत्या व लूट के अभियोग में वांछित वारन्टी है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं मौका पाकर चोरी व छिनैती की घटना कारित करके उससे अपने नशे का शौक पूरा करता हूँ। मेरे पास से जो बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुई है इसे मैंने कुछ महीने पहले दिल्ली से चोरी कर लिया था। जिससे मैं चोरी/लूट की घटना कर पुलिस से बचने के लिए फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चला रहा था तथा ये पिस्टल मैं चोरी/लूट की घटना करते समय पकडे जाने पर लोगो को डराने व धमकाने के लिए अपने पास रखता हूँ और मोटरसाइकिल से अकेले आने-जाने वाले लोगों से पिस्टल दिखाकर लूटपाट कर लेता हूँ। मैं पूर्व में भी हत्या,लूट,चोरी,गैगस्टर एक्ट के अभियोगों में जेल जा चुका हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

शाने आलम उर्फ शानू पुत्र मोहम्मद अतीक हाल निवासी डी0एल0एफ0 कट के पास पुस्ता लोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल निवासी रमैयो वाली गली थाना नहटौर जनपद बिजनौर, उम्र करीब 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त चोरी का वाहन व अवैध पिस्टल बरामदगी के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा थाना लोनी पर पूर्व में हत्या/लूट/गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियोग, थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर में चोरी के संबंध में 01 अभियोग व दिल्ली में वाहन चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से दिल्ली से चोरी की गई फर्जी नम्बर प्लेट लगी बुलेट मोटरसाइकिल, 01 देशी पिस्टल 32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली टीम-

स्वाट टीम गाजियाबाद व थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधडी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14.12.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी गुलफाम पुत्र श्री शिब्बे अली निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद द्वारा धोखाधडी करके प्लाट देने के नाम पर 9,20,000/ रूपये हपड लेना तथा न ही प्लाट देना तथा ना ही पैसे वापस करना तथा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दी तहरीर पर अभियुक्तगण 1.मनोज कश्यप पुत्र सुखबीर निवासी फतियाबाद निठौरा थाना लोनी गा0बाद 2. कुलदीप पुत्र स्व0 सतपाल निवासी जस्सी गढी थाना लोनी गा0बाद 3. कपिल पुत्र पप्पु 4. सुखवीर पुत्र राजे निवासीगण फतियाबाद निठौरा थाना लोनी गा0बाद 5. मीर हसन पुत्र शाबुद्दीन उर्फनसीबुद्दीन निवासी फुस वाली, हसीन मस्जिद के पास अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 420/406/506/467/668/471/120 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस

टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 03.02.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त मीर हसन पुत्र शाबुद्दीन उर्फ नसीबुद्दीन निवासी फूस वाली, हसीन मस्जिद के पास अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 58 वर्ष व दिनांक19.02.2025 को अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम निठौरा फतियाबाद थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

दिनांक 07.03.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त कुलदीप पुत्र स्व0 सतपाल सिह निवासी गढी जस्सी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 54 वर्ष को घोडा गेट पावी चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मेरे व मुकदमा उपरोक्त में नामित अन्य लोगों के द्वारा वादी गुलफाम से कूटरचित दस्तावेज तैयार करके प्लाट देने के नाम पर 9,20,000/- रूपये हडप लिये गये, गुलफाम को ना तो रूपये ही लौटाये, ना ही उसको प्लाट पर कब्जा दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कुलदीप पुत्र स्व0 सतपाल सिह निवासी गढी जस्सी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 54 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उड़ीसा से एन0सी0आर0 क्षेत्र में गाँजे की तस्करी/बिक्री करने वाला 01 शातिर अन्तर्राज्यीय गाँजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से करीब 60 लाख 50 हजार रू0 कीमत का 121 किलोग्राम नाजायज गांजा व तस्करी में प्रयुक्त कैन्टर गाड़ी बरामद

दिनांक-07/03/2025 को क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उडीसा राज्य से लाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश , दिल्ली एनसीआर क्षेत्र मे गाँजा तस्करी करने वाले 01 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर को थाना कविनगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। गिरफ्तार गाँजा तस्कर उड़ीसा राज्य से कैण्टर वाहन मे पुरानी साडियों के गाँठो के नीचे गांजा छिपाकर दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे सप्लाई करने के लिए तस्करी करके ला रहा था जिसके कब्जे से कुल 121 किलोग्राम नाजायज गाँजा बरामद हुआ जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 लाख 50 हजार रूपये है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त मोहित यादव ने बताया कि वह 12वीं पास है। पढाई छोडने के बाद उसने ट्रक ड्राईविंग सीखी तथा एटा मे छोटू नामक ड्राईवर के सम्पर्क मे आया और दोनो एक ही गाडी पर एटा में ड्राईविंग करने लगे। एटा में ही चोरी करने के अपराध में पिछले वर्ष मोहित व छोटू जेल चले गये थे। करीब 01 माह जेल मे रहकर बाहर आने के बाद मोहित कोटपुटली राजस्थाना चला गया तथा नैचाना ट्रान्सपोर्ट पर बालू की गाडी चलाने लगा। वहाँ 4-5 महीने काम करने के बाद पुनः वापस एटा आ गया। एटा में छोटू के माध्यम से छोटू के दोस्त देवराज निवासी कासगंज के सम्पर्क मे आया, जिसने मोहित को उडीसा राज्य से गाँजा तस्करी कर पश्चिमी उत्तर-प्रदेश , दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में लाकर बेचने से होने वाले फायदे से सम्बन्ध मे बताया यह भी कहा कि गाँजा लेने वाली पार्टियाँ उनके पास है मोहित को सिर्फ ड्राईविंग करके गाडी उडीसा से लानी है जब भी माल आएगा प्रति चक्कर मोहित को 20 हजार रूपये देंगे। गाँजा तस्करी के काम मे ज्यादा आमदनी होने के कारण मोहित ने लालचवश देवराज के कैन्टर ट्रक पर ड्राईवरी का काम करना शुरू कर दिया। देवराज के साथ उसके ट्रक पर ड्राईवरी करते हुए वह दिल्ली, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश से माल लोड करके उडीसाए पश्चिम बंगाल ले जाते थे और वापसी के दौरान ब्रहमपुरी उड़ीसा राज्य से अवैध गाँजे की तस्करी कैन्टर ट्रक में लोड माल के बीच मे छिपाकर लाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश व दिल्ली एन0सी0आर0 में सप्लाई करने लगे। गाँजा तस्करी करने के लिए गाँजा जिस पार्टी को और जिस स्थान पर सप्लाई करनी होती थी वह पार्टी व स्थान छोटू ही देवराज व मोहित को बताता था।। उडीसा राज्य से गाँजे की तस्करी करके सम्बंधित पार्टी तक पहुँचाने पर छोटू व देवराजए मोहित को प्रत्येक चक्कर के 20 से 25 हजार रुपये प्रति कुन्टल देते थे और बाकी मुनाफा वो दोनो आपस मे बाँट लेते थे माल लेने के लिए पैसे भी छोटू व देवराज लगाते थे तथा गाँजा तस्करी मे प्रयुक्त

कैन्टर देवराज का होने के कारण देवराज ज्यादा पैसा लेता था। इस बार गाँजा तस्करी कर लाने मे मोहित के साथ देवराज भी कैन्टर ट्रक पर मौजूद था जो गिरफ्तारी के दौरान कैन्टर से कूदकर अँधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर यह भी बताया कि वह कैन्टर गाडी में उडीसा से गांजा लोड करके चलते हैं तो अपना फोन बन्द कर लेते हैं और किसी से भी कोई सम्पर्क नहीं करते हैं। जब तक कि माल को उसके तयशुदा स्थान पर न पहुँचा दे। गिरफ्तार अभियुक्त मोहित गाँजा तस्करी का काम पिछले करीब 06 माह से कर रहा है। गाँजा तस्करी के काम में कई गुना फायदा होता है जिससे यह अपने घर के खर्चे व शौक पूरा करते है। अभियुक्त से पूछताछ पर एन0सी0आर0 क्षेत्र मे गाँजे का क्रय-विक्रय करने वालो के सम्बन्ध मे कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई है जिसके आधार पर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमें बनाकर दविशें दी जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

मोहित यादव पुत्र जुगेश यादव निवासी ग्राम नंगला सेवा थाना निधौली कलाँ जनपद-एटा उम्र करीब 22 वर्ष

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1.गांजा नाजायज – 121 किलोग्राम

2.तस्करी मे प्रयुक्त कैन्टर रजिस्ट्रेशन न0-UP 87T 6031

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त मोहित यादव के विरूद्ध एटा में 01 तथा गाजियाबाद मे 01 कुल 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.02.2025 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि मेरे भाई नितिन व उसके दोस्त शिवम पर अभियुक्त सद्दाम एवं 04 अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल रोककर हमला करना, फायरिंग करना व एक राय होकर लाठी डंडो से मारपीट करना जिससे दोनों के गम्भीर चोट आना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर द्वारा तत्काल धारा-191(2)/191(3)/127(2)/131/109 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात वांछित अभियुक्त सद्दाम पुत्र रफीक निवासी ग्राम ढबारसी थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 08.03.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक अभियोग में वांछित अभियुक्त इस्तिखार पुत्र रहमान निवासी किरायेदार 25 फुटा रोड निकट आमिर मेडिकल स्टोर थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी आशियाना सिटी निकट आयशा मस्जिद के पास थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 33 वर्ष को भोजपुर अण्डर पास से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन व अभियुक्त के बयान के आधार पर धारा-191(2)/193(3)/127 का लोप किया गया तथा धारा 131/109(1)/126(2)/115(2)/3(5) बी0एन0एस की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त इस्तिखार ने पूछने पर बताया कि दिनांक 01/02/2025 को सद्दाम अपनी पत्नी के जन्मदिन के अवसर पर खाना खाने के लिए हवा हवाई रैस्टोरेन्ट गया था जहां पर उसकी पत्नी के साथ कुछ व्यक्तियों ने बदत्तमीजी की थी जिसके बाद सद्दाम पर दबाव बनाकर फैसला करा दिया लेकिन सद्दाम बदला लेना चाहता था। इसलिए दिनांक 02/02/2025 की रात्रि में, मैं अपने साथी सद्दाम, रहमान व

आबिद के साथ हवा हवाई रैस्टोरैन्ट पर आये। जब वह लोग अपनी ड्यूटी समाप्त करके भोजपुर की तरफ चल दिये तो मैनें व मेरे साथियों ने उन लोगों को एक बोर्ड के पास गाडी आगे लगाकर रोक लिया और लाठी व डण्डे व लात घूसों से दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी, तो दोनों हमसे छूटकर गन्ने के खेतों की तरफ भागे तब सद्दाम ने तमंचा निकालकर उक्त लोगों की तरफ फायर किया था जिसके बाद एक व्यक्ति मौके से भाग गया था तथा दूसरे को हम लोगों ने पकड लिया और लाठी डण्डों से बहुत मारा था। हम उसे मारपीट कर घायल अवस्था में छोडकर भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इस्तिखार पुत्र रहमान निवासी किरायेदार 25 फुटा रोड निकट आमिर मेडिकल स्टोर थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी आशियाना सिटी निकट आयशा मस्जिद के पास थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 33 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध दिल्ली में लूट व हत्या के प्रयास के 03 अभियोग तथा जनपद हापुड में हत्या का प्रयास का 01 अभियोग व उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 28.02.2025 को थाना लिंकरोड पर वादी चंदन पुत्र जय नारायण प्रसाद निवासी डी 228 तृतीय फ्लोर बृजविहार थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि मेरी मोटर साइकिल कड़कड़ मॉडल बडे पार्क रोड के साइड में खड़ी करके क्रिकेट खेलने के लिये गया था आकर देखा तो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी मोटर साइकिल को चोरी कर लिया गया है। वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज, चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 08.03.2025 को दो पहिया वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त अजय पुत्र विनोद कुमार निवासी डी 102 ग्राउण फ्लोर वृजविहार उम्र करीब 20 वर्ष को कडकड फाटक थाना लिंकरोड से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त अजय के विरुद्ध धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) की बढ़ौत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त अजय से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त अजय ने उक्त मोटर साइकिल को करीब 10-12 दिन पहले बड़ा पार्क कड़कड मॉडल के रोड साईड से चोरी किया था। आज दिनांक 08.03.2025 को अभियुक्त अजय उक्त मोटर साइकिल चलते फिरते व्यक्तियों को बेचने की फिराक में कड़कड़ फाटक के आस पास घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अजय पुत्र विनोद कुमार निवासी डी 102 ग्राउण फ्लोर वृजविहार उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त अजय पुत्र विनोद कुमार के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर चोरी को 01 अभियोग, नकबजनी का 01 अभियोग कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा मारपीट की घटना कारित करने वाला वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.03.2025 को थाना टीला मोड़ पर वादी श्री मनोज पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी डीएलएफ ए-164 थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि दिनांक 24.02.2025 को मेरा भाई बब्लू राघुवीर एन्कलेव पसौंडा गोदाम पर सो रहा था तभी नीरज पुत्र ईश्वर सिंह ने बब्लू को अपने साथ चलने के लिये कहा बब्लू के मना करने पर नीरज ने गुस्से में आकर पास में पडे लकड़ी के डंडे से मेरे भाई के साथ मारपीट करने लगा और मेरा भाई बेहोश हो गया। जिससे मेरे के दोनो हाथ व पैर मे फेक्चर आया है। वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीला मोड़ पर धारा 115(2),351(2),351(3),110 बीएनएस, 117(2) बीएनएसएस में पंजीकृत किया गया।

तत्काल थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा टीमें गठित कर मैनुअल इनपुट, चेकिंग के दौरान व मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 08.03.2025 को उक्त घटना को कारित करने वाला अभियुक्त नीरज पुत्र ईश्वर सिंह निवासी कस्बा छपरौली थाना छपरौली बागपत उम्र करीब 28 वर्ष को भोपरा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त नीरज पुत्र ईश्वर सिंह के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त नीरज पुत्र ईश्वर सिंह से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये की अभियुक्त नीरज किराये पर गाड़ी चलाता है। वह गाड़ी पर अपने साथ बब्लू को ले जाने के लिये राघुवीर एन्कलेव पसौंडा गोदाम पर आया था बब्लू के मना करने पर अभियुक्त नीरज आक्रोश में आकर पास में पड़े लकडी के डंडे से मारपीट करने लगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नीरज पुत्र ईश्वर सिंह निवासी कस्बा छपरौली थाना छपरौली बागपत उम्र करीब 28 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त नीरज उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीला मोड़ पर मारपीट का 01 अभियोग, जनपद बागपत में मारपीट व हत्या के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम ।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गांजा बेचने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 850 ग्राम गांजा बरामद ।

दिनांक 07/08.03.2025 की रात्री को थाना इन्दिरापुरम पुलिस को चेकिंग के दौरान व मुखबिर खास के जरिये सूचना प्राप्त हुई कि थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में सब्जी मण्डी रेड लाईट से एक्सप्रेस वन निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास एक व्यक्ति गांजे की पुडिया बेच रहा है। तत्काल थाना इन्दिरापुरम पुलिस मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए सब्जी मण्डी रेड लाईट से एक्सप्रेस वन निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास गांजे की पुडिया बेचने वाला 01 अभियुक्त रामसुन्दर उर्फ मोन्टी पुत्र बलवन्त सिंह ग्राम लुदपुरा थाना जसवन्त नगर जनपद इटावा हाल पता देशी शराब के ठेके वाली गली ग्राम प्रहलादगढी थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया। जिसके कब्जे से अवैध 850 ग्राम गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 8,20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त रामसुन्दर उर्फ मोन्टी से पूछताछ करने यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त दिल्ली से सस्ते दामों में गांजा खरीद कर लाता है और गांजे की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर इन्दिरापुरम क्षेत्र में पार्क, सब्जी मण्डी के आस पास जो व्यक्ति नशे के आदी होते है उनको अधिक दामो में बेचकर लाभ कमाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रामसुन्दर उर्फ मोन्टी पुत्र बलवन्त सिंह ग्राम लुदपुरा थाना जसवन्त नगर जनपद इटावा हाल पता देशी शराब के ठेके वाली गली ग्राम प्रहलादगढी थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

- अवैध 850 ग्राम गांजा बरामद ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त रामसुन्दर उर्फ मोन्टी के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर एनडीपीएस का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 08.03.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर खास के जरिये दो पहिया वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र मुकेश शर्मा उर्फ पप्पी मूल पता थोक भूरेका, ग्राम नन्दगांव जनपद मथुरा हाल पता निखिल का मकान निकट पाल चौक ग्राम भोवापुर थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र-करीब 21 वर्ष को ईडीएम मॉल के पास थाना कौशांबी से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरादम हुई गिरफ्तार अभियुक्त मनीष कुमार के विरुद्ध धार 317(2) में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त मनीष कुमार उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त मनीष ने उक्त मोटर साइकिल को थाना साहिबाबाद क्षेत्र में एक जिम के पास से चोरी किया था। जिसे बेचने की फिराक में ईडीएम मॉल के आस-पास घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मनीष कुमार पुत्र मुकेश शर्मा उर्फ पप्पी मूल पता थोक भूरेका, ग्राम नन्दगांव जनपद मथुरा हाल पता निखिल का मकान निकट पाल चौक ग्राम भोवापुर थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र-करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त मनीष कुमार के विरुद्ध थाना साहिबाबाद में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।